भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 4112**

उत्तर देने की तारीख - 18/08/2025

सोमवार, 27 श्रावण, 1947 (शक)

**प्रशिक्षु योजना की स्थिति**

**†4112. श्री परषोतमभाई रुपाला:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रशिक्षु योजना के संबंध में अद्यतन जानकारी का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध पदों की संख्या कितनी है और इसमें कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ख) प्रशिक्षुता के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने प्रशिक्षुओं की भर्ती की गई है और कितने प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं कि प्रशिक्षुता कार्यक्रम स्किल इंडिया पहल के लक्ष्यों के अनुरूप हो और प्रशिक्षुओ को उद्योग जगत के लिए बहुमूल्य अवसर प्रदान करे; और

(ङ) प्रशिक्षुता कार्यक्रम को अधिक क्षेत्रों मे विस्तार करने तथा उपलब्ध पदों की संख्या में वृद्धि करने की क्या योजना है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

**(क):** राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) का उद्देश्य देश भर में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। अगस्त 2016 में शुरू की गई यह स्कीम वर्तमान में अपने दूसरे चरण, एनएपीएस-2 के तहत जारी है। सरकार एनएपीएस-2 के अंतर्गत, आंशिक वजीफा सहायता शेयर करती है जो शिक्षुओं को देय न्यूनतम निर्धारित वजीफे के 25% तक सीमित होती है और यह प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति शिक्षु प्रति माह अधिकतम 1,500 रुपए तक के अध्यधीन होती है। वजीफा सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे शिक्षुओं के बैंक खातों में वितरित की जाती है।

शिक्षुता प्रशिक्षण को और सशक्त बनाने के लिए, हाल ही के सुधारों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी प्रस्तावित 36% वजीफा वृद्धि (रुपए 5,000-9,000 से रुपए 6,800-12,300 तक) शामिल है जो प्रतिभाओं को आकृष्ट करती है और शिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ने से रोकती है। 38वीं केंद्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी) के निर्णय के रूप में प्रमुख सुधारों में डिग्री कार्यक्रमों को शिक्षुता से जोड़ना, मिश्रित प्रशिक्षण मोड, बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित स्लॉट और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और दूरसंचार जैसे उभरते क्षेत्रों में औद्योगिक वर्गीकरण को राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 में अपडेट करके प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है जो भारत के कौशल अंतराल को पाटने, नियोजनीयता को बढ़ाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण की दिशा तय करता है।

चालू वित्त वर्ष (2025-26) में, स्कीम (एनएपीएस-2) के तहत 13 लाख शिक्षुओं का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से जुलाई 2025 तक 3.99 लाख शिक्षुओं को नियोजित किया जा चुका है, तथा शेष लक्ष्य को वर्ष के शेष महीनों में प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

एनएपीएस-2 के तहत देश भर में 49 क्षेत्रों; जिनमें ऑटोमोटिव, आईटी- आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, खुदरा और उत्पादन एवं विनिर्माण आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, में शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

**(ख) :** शिक्षुता पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि एक योग्य उम्मीदवार, जिसकी निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष (जोखिमपूर्ण उद्योगों के लिए 18 वर्ष) हो और जिसके पास संबंधित ट्रेड के पाठ्यक्रम के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक/तकनीकी और शारीरिक अर्हता (न्यूनतम पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण) हों, को आधार या विशिष्ट पहचान संख्या का उपयोग करके शिक्षुता पोर्टल (https://apprenticeshipindia.org ) पर पंजीकरण कराना होगा। उम्मीदवार पोर्टल पर "गेट स्टार्टटिड" विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं, " कैंडिडेट यूजर मेन्युअल" का पालन कर सकते हैं, प्रतिष्ठानों द्वारा पोस्ट किए गए शिक्षुता अवसरों की खोज कर सकते हैं, संभावित नियोक्ताओं को आवेदन कर सकते हैं, प्रस्ताव पत्र प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षुता संविदा पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उसके बाद प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं।

**(ग):** एनएपीएस के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2025-26 (जुलाई 2025तक ) तक देश भर में कुल 41,95,703 शिक्षुओं को नियुक्त किया गया जिनमें से 21,47,122 शिक्षुओं ने शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा कर लिया

**(घ) और (ङ) :** भारत में कुशल जनशक्ति बनाने के प्रमुख घटकों में से एक घटक शिक्षुता प्रशिक्षण है और यह 'कौशल भारत' में योगदान देता है। प्रतिष्ठानों को अधिक संख्या में शिक्षुओं को नियुक्त करने को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 में शिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन और वर्ष 2019 में नियमों और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के शुभारंभ सहित विभिन्न सुधार किए गए हैं। स्कीम के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल (www.apprenticeshipindia.gov.in) देश भर में स्कीम के विस्तार के प्रयास को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा, जून 2022 से, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) उम्मीदवारों को शिक्षुता प्रशिक्षण में अवसरों का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करता है और संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने और शिक्षुओं के चयन में प्रतिष्ठान को सहायता प्रदान करता है। यह आयोजन हर महीने दूसरे सोमवार को प्रत्येक राज्य के कम से कम एक तिहाई जिलों में आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जागरूकता कार्यशालाएं देशभर में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच योजना को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती है।

शिक्षु अधिनियम, प्रतिष्ठानों को शिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत, चार या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान शिक्षुओं को नियुक्त करने के पात्र हैं जबकि 30 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिक्षुओं की नियुक्ति अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी) राष्ट्रीय शिक्षुता नीतियों को मूर्त रूप प्रदान करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण को उद्योग की माँगों के अनुरूप बनाने और अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

*****